

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(19) शिक्षा-2/2018 जयपुर, दिनांक: 26.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र. सं. | नाम व पदस्थापन स्थान | विषय | लिय गये अवकाश की अवधि | दिनों की संख्या | अवकाश का प्रकार |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 | श्रीमती विनिता जांगिड राउमावि धनोता, शाहपुरा, जयपुर | रसायन विज्ञान | 19.08.16 से 29.08.2016 तक 19.09.2016 से 07.10.16 तक 13.10.2016 से 18.10.16 तक 07.10.2016 से 18.11.16 तक 22.11.2016 से 07.11.2016 तक | (11) (19) (06) (12) (16) | कुल 64 दिनों का 'असाधारण अवकाश' |

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 24.01.2018 एवं 18.03.2019(रांशोधन), द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 154 दिवस के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसुली कर राजकोष में जमा करवायें एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "124 दिवस" की वृद्धि होगी तथा वढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.


निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगृ/अवकाश(2)/वो0-2/2019-22

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/रावाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राज्य सरकार के ज्ञापन एफ-1(2) एफडी (रूल्स) 06 पार्ट-1 जयपुर दिनांक 11 जून 2014, 07.08.2014, वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 तथा राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति क्रमांक: प. 7(83) शिक्षा-2/2019 जयपुर, दिनांक: 26.10.2020 की अनुपालना में निम्नांकित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) द्वारा परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यरत परीवीक्षाकाल की अवधि में उनके नाम के सामने अंकित अवधि में उपभोग किए गए अवकाशों का असाधारण अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

| क्र. सं. | नाम व पदस्थापन स्थान | विषय | लिय गये अवकाश की अवधि | दिनों की संख्या | अवकाश का प्रकार |
|----------|----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|
| 1 | योगिता कुमारी यादव रावाउमावि राजनगर, राजसंमद | रसायन विज्ञान | 28.08.2017 से 20.09.2017 तक 21.09.2017 से 06.10.2017 तक | (24) (16) | कुल 40 दिनों का 'असाधारण अवकाश' |

उक्त कार्मिक के 90 दिवस के असाधारण अवकाश कार्यालय हाजा आदेश दिनांक: 20.12.2018 द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है। कार्मिक के परिवीक्षाकाल में सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 130 दिवस है।

उक्त कार्मिक के सम्पूर्ण "असाधारण अवकाश" अवधि 130 दिवस के वेतन का भुगतान कर दिया गया है तो संबंधित संस्था प्रधान उसकी वसूली कर राजकोष में जमा करवाये एवं उक्त अवकाश अवधि के लेखे का कार्मिक की सेवा-पुस्तिका में इन्द्राज करें। वित्त (नियम) विभाग के परिपत्र दिनांक: 11.06.2014 एवं संशोधित परिपत्र दिनांक: 07.08.2014 व वित्त (नियम) विभाग के मैमोरेण्डम दिनांक 08.08.2019 एवं दिनांक 25.10.2019 के प्रावधानानुसार कार्मिक के परिवीक्षाकाल में "100 दिवस" की वृद्धि होगी तथा बढी हुई अवधि में और "असाधारण अवकाश" लेने पर परिवीक्षाकाल में तदनुसार उतनी वृद्धि होगी।


(सौरभ स्वामी)


आई.ए.एस.

निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर
दिनांक 10/11/2020

क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/सी-4/रजीगु/अवकाश(2)/2019-20

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक (माध्यमिक) शिक्षा।
2. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक।
3. संबंधित प्रधानाचार्य राउमावि/रावाउमावि.....।
4. संबंधित कार्मिक।
5. अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर